| १ | विभागाबद्दल माहिती |
| --- | --- |

| १.१ | परिचय |
| --- | --- |

## ग्राम पंचायत विभाग, जिल्हा परिषद जळगाव

| | |
| --- | --- |
| **विभाग प्रमुखाचे नाव** | श्री. भाऊसाहेब शिवाजी अकलाडे |
| **पदनाम** | **उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी(ग्रापं)** |
| **दुरध्वनी क्रमांक** | (०२५७) २२२ ३५५७ |
| **ई मेल आय डी-** | dyceovpjalgaon@gmail.com |

| १.२ | व्हिजन आणि मिशन |
| --- | --- |
| | निरंक |

| १.३ | उद्दिष्टे व कार्ये |
| --- | --- |

ग्राम पंचायतींशी संबधीत कामकाज करणे व योजना राबविणे. ग्रामीण भागातील नागरीकांच्या लोकसहभागातुन राष्ट्राचा सर्वांगीण विकास साधणे. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करुन ग्राम पंचायतींचा विकास करणे. जिल्हा परिषदेकडील/शासनाच्या सर्व प्रकारच्या योजना ग्रामसेवक व ग्रामविकास अधिकारीमार्फत गावपातळीवर सर्वसामान्य नागरीकांपर्यंत पोहचविणे. राज्य, केंद्र, जिल्हा प्रशासन इ. विवीध योजना राबविणे तसेच ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातुन लोकसहभागातुन सर्वांगीण विकास करणे. ग्रामपंचायत विभागाकडील उपलब्ध असलेल्या सर्व प्रकारच्या सेवा या ग्रामपंचायत स्तरावर उपलब्ध असुन सदरील सर्व प्रकारच्या सेवा या ग्रामपंचायतींचे सरपंच, तसेच ग्राम पंचायतीचे सचिव तथा ग्रामसेवक/ग्रामविकास अधिकारी यांचे माध्यमातुन पुरविण्यात येत असतात.

- एकुण भोगोलिक क्षेत्रफ़ळ — ११,७६,००० हेक्टर
- एकुण तालुके संख्या — १५
- एकुण गावे संख्या — १५०३
- एकुण ग्रामपंचायत संख्या — ११५५
- एकुण घरांची संख्या — ६८१२१६
- एकुण ग्रामसेवक कर्मचारी संख्या — ७७४ (पदस्थीतीत बदल होत असतो)
- एकुण ग्रामविकास अधिकारी संख्या — १६९ (पदस्थितीत बदल होत असतो)

• एकुण विस्तार अधिकारी संख्या — ३३ (पदस्थितीत बदल होत असतो)
• एकुण ग्राम पंचायत कर्मचारी संख्या — २१६२ (आकृतीबंधानुसार ची संख्या)
• एकुण सरपंच संख्या — १०७२
• एकुण् उपसरपंच संख्या — १०६१
• एकुण आपले सरकार सेवा केंद्र संख्या — ८८७
• एकुण केंद्र चालक संख्या — ८५९

| १.४ | **प्रशासकिय रचना** |
| --- | --- |
| | **कार्यालय प्रमुख-** उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी(ग्रापं), ग्राम पंचायत विभाग, जिल्हा परिषद, जळगाव<br><br>**कार्यालयाचा पत्ता-** ग्राम पंचायत विभाग, नवीन जिल्हा परिषद इमारत, बळीराम पेठ, ता.जि. जळगाव<br><br>**संपर्कध्वनी-**(०२५७) २२२९११०<br><br>**ई-मेल:** dyceovpjalgaon@gmail.com |

## जिल्हा परिषद ग्राम पंचायत विभाग जि.प. जळगाव कार्यालयीन रचना (अधिकारी / कर्मचारी ) प्रारुप तक्ता.

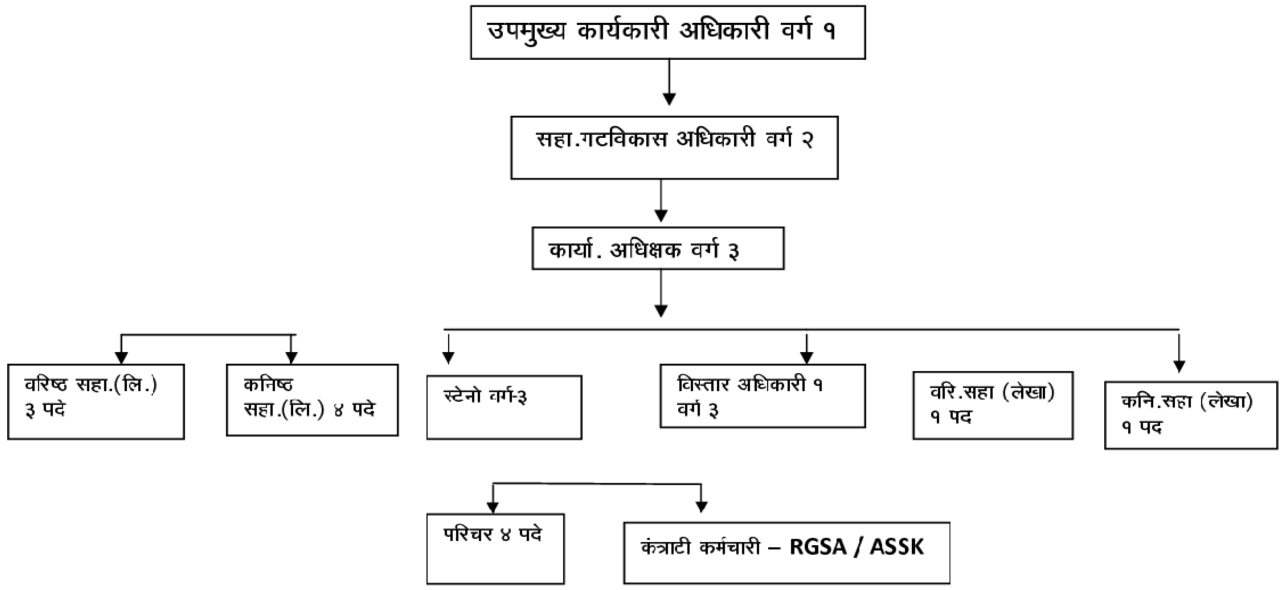


## पंचायत समिती स्तर कार्यालयीन रचना (अधिकारी / कर्मचारी ) प्रारुप तक्ता.

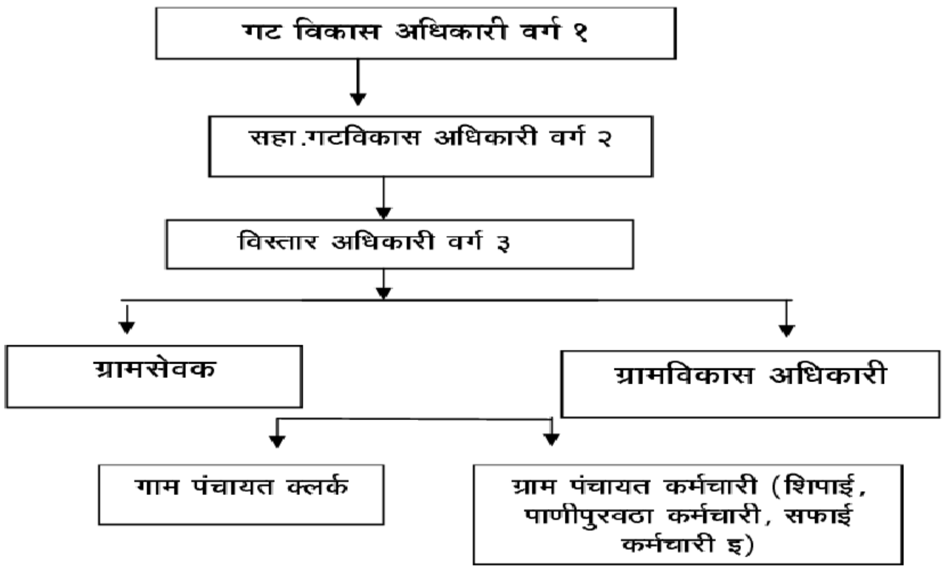


## ग्राम पंचायत स्तर कार्यालयीन रचना (अधिकारी / कर्मचारी ) प्रारुप तक्ता.

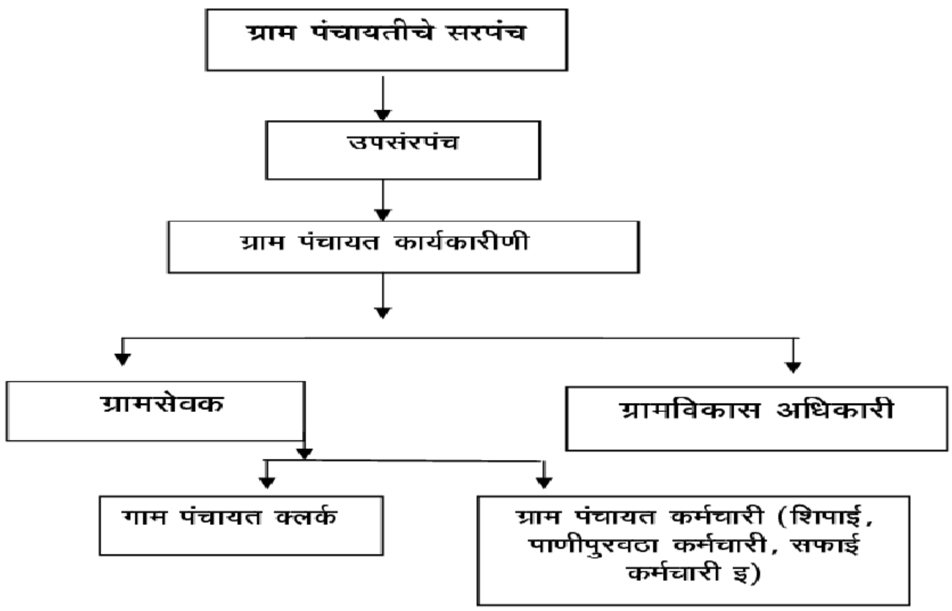

ग्राम पंचायत विभाग पदांचा तपशील

| अ.क्र. | संवर्ग | मंजुर पदे | भरलेली पदे |
|---|---|---|---|
| 1 | ग्रामसेवक | 774 | 709 |
| 2 | ग्राम विकास अधिकारी | 169 | 156 |
| 3 | विस्तार अधिकारी (पंचायत) | 33 | 30 |
| 4 | एकूण | 976 | 895 |

| १.५ | **पुरस्कार आणि प्रशंसा** |
|---|---|
| | **निरंक** |

| १.६ | **संलग्न कार्यालये संस्था/संघटना** |
|---|---|

| १.६.१ | **संस्था** |
|---|---|
| | **निरंक** |

| १.६.२ | **संचालनालय/आयुत्कालये** |
|---|---|
| | आयुक्त कार्यालय , नाशिक विभाग, नाशिक |

| १.६.३ | **मंडळे/उपक्रम** |
|---|---|
| | **निरंक** |

| १.६.४ | **आयोग** |
|---|---|
| | **निरंक** |

| १.७ | **कोण कोण आहे (संपर्क तपशील)** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **अ.क्र.** | **नाव** | **पदनाम** | **ई-मेल** | **पत्ता** | **संपर्कध्वनी** |
| १ | श्री. भाऊसाहेब शिवाजी अकलाडे | उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी(ग्रापं), ग्राम पंचायत विभाग | dyceovpjalgaon@gmail.com | ग्राम पंचायत विभाग, नवीन जिल्हा परिषद इमारत, बळीराम पेठ, ता.जि. जळगाव | (०२५७) २२२९११० |

| २ | निर्देशिका |
|---|---|

| अ.क्र. | संपर्क नाव |
|---|---|
| १ | ग्रामविस्तार अधिकारी |
| २ | विस्तार अधिकारी (पंचायत) |
| ३ | ग्रामसेवक |

| ३ | नागरिकांचा कॉर्नर |
|---|---|
| ३.१ | सेवा |

| अ.क्र. | आपली सेवा आमचे कर्तव्य | लोकसेवा प्राप्त होण्यासाठी विहित कालावधी | पदनिर्देशित अधिकारी | प्रथम अपिलीय अधिकारी | द्वितीय अपिलीय अधिकारी |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | जन्म नोंद दाखला | ०७ दिवस | ग्रामसेवक/ग्रा.वि.अ. | सहा. गट विकास अधिकारी | गट विकास अधिकारी |
| २ | मृत्यु नोंद दाखला | ०७ दिवस | ग्रामसेवक/ग्रा.वि.अ. | सहा. गट विकास अधिकारी | गट विकास अधिकारी |
| ३ | विवाह नोंद दाखला | ०७ दिवस | ग्रामसेवक/ग्रा.वि.अ. | सहा. गट विकास अधिकारी | गट विकास अधिकारी |
| ४ | दारिद्य रेषेलील असल्याचा दाखला | ०७ दिवस | सहा.ग.वि. अधिकारी | गट विकास अधिकारी | गट विकास अधिकारी |
| ५ | ग्रामपंचायत येणेबाकी नसल्याचा दाखला | ०५ दिवस | ग्रामसेवक/ग्रा.वि.अ. | सहा. गट विकास अधिकारी | गट विकास अधिकारी |
| ६ | नमुना ८ चा उतारा | ०५ दिवस | ग्रामसेवक/ग्रा.वि.अ. | सहा. गट विकास अधिकारी | गट विकास अधिकारी |
| ७ | निराधार असल्याचा दाखला | २० दिवस | ग्रामसेवक/ग्रा.वि.अ. | सहा. गट विकास अधिकारी | गट विकास अधिकारी |

| ३.२ | फॉर्म |
|---|---|

| अ.क्र. | शीर्षक |
|---|---|
| १ | जिल्हा ग्राम विकास निधी कर्ज प्रकरणासाठी आवश्यक कागदपत्रे |
| २ | महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश-2015 अंतर्गत दाखला/प्रमाणपत्र मिळणे करिता अर्जाचा नमुना |
| ३ | महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश-2015 अंतर्गत दाखला/प्रमाणपत्र मिळणेकरिता अर्जासोबत |

| | | |
|---|---|---|
| | | जोडावयाची कागदपत्रे |
| | ४ | जन्मप्रमाणपत्र नमुना |
| | ५ | मृत्य प्रमाणपत्र नमुना |
| | ६ | विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र नमुना |
| | ७ | कर आकारणी रजिस्टर उतारा (नमुना 8) |
| | ८ | रहिवासी दाखला नमुना |
| | ९ | दारिद्य रेषेखालील कुटुंबाचा दाखला |
| | १० | हयातीचा दाखला नमुना |
| | ११ | थकबाकी नसल्याचे प्रमाणपत्र नमुना |
| | १२ | शौचालय दाखला नमुना |
| | १३ | निराधार असल्याचा दाखला नमुना |
| | १४ | विधवा असल्याचा दाखला नमुना |
| | १५ | परित्यक्त्या प्रमाणपत्र नमुना |
| | १६ | विभक्त कुटुंब प्रमाणपत्र नमुना |
| | १७ | दाखल्या बद्दल पावती नमुना |
| | १८ | लोकसेवा पुरविण्यासाठी विहित केलेली कालमर्यादा |

| **४** | **योजना/कार्यक्रम** | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **अ.क्र.** | **योजनेचे नांव** | **उद्देश** | **आवश्यक कागदपत्रे** |
| | 1 | 15 वा वित्त आयोग | शासन निर्णय क्र .पंविआ-2020/प.क्र59/वित्त-4/दि. 26 जुन 2020 मधील मार्गदर्शक सुचनानुसार 15 वा वित्त आयेाग लागु करण्यात आलेला असून त्यात बंधित व अबंधित निधी 50-50 टकक्याच्या प्रमाणात विभागण्यात आलेले आहे. यात मं◌ंजुर अनुदानातुन ग्राम पंचायत स्तर 80 टक्के, पंचायत समिती स्तर 10 टक्क्◌े , तर जि.प. स्तर 10 टक्क्◌े या प्रमाणात निधी वितरीत करण्यात येतो. सन 2020-21 या वर्षी पहिला हप्ता वितरीत असुन वेळोवेळी प्राप्त होणारा बंधित/अबंधित निधी शासन मार्गदर्शक सुचनानुसार कार्यवाही करण्यात येते. सदर निधी शासनाच्या 14 जुन 20221 च्या शासन निर्णयाच्या मार्गदशक सुचनेनुसार ग्रामपंचायतीने तयार केलेल्या आमचा गाव आमचा विकास आराखडयातील कामे/उपक्रमावर खर्च करावयाच्या आहे. | |
| | 2 | स्मार्ट ग्राम योजना | पर्यावरण संतुलीत समृध्द ग्राम योजनेचे रुपांतर स्मार्ट ग्राम योजनेत करण्यात आलेले आहे. शासन निर्णय 21 नोव्हेंबर 2016 नुसार स्वच्छता,व्यवस्थापन,दायीत्व,अपारंपारीक उर्जा आणि पर्यावरण | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | इ.निकषानुसार प्रत्येक तालुक्यातुन एका पात्र ग्रामपचंायतीस 10 लाख रुपयांचे पारितोषीक देण्यात येते. सदर ग्रामपंचयतीची निवड दुसऱ्या पंचायत समितीची निवड समिती करते. तालुक्यातील पात्र ग्रामपंचायती मधुन जिल्हास्तरीय निवड समिती जिल्हास्तरावर एक ग्रामपंचायत निवड करेल व अशा निवड झालेल्या ग्रामपंचायतीस पारितोषीक देण्यात येते. | |
| | 3 | आमच गाव,आमचा विकास आराखडा | शासन निर्णय 4 नोहेम्बर 2015 च्या शासन निर्णयानुसार प्रत्येक ग्रामपंचायतीने आपल्या गावाचा 5 वर्षाचा बृहत आराखडा तयार करावा,प्रत्येक वर्षी गाव विकास आराखडा तयार करावा. वाषिर्क आराखडा तयार केल्यानंतर ग्रामसभेची मान्यता घेऊन तो पंचायत समिती च्या तांत्रिक छाननी समिती कडे पाठविण्यात येतो. पंचायत समिती स्तरावरील तांत्रिक छाननी समितीने सदर आराखडा तांत्रिक दृष्या बरोबर असल्याची खात्री करुन सदर आराखडा ग्रामपंचायतीकडे पाठविते. ग्रामपंचायत आराखडा ग्रामसभेची अंतीम मंजुरी घेऊन त्यातील उपक्रम व कामे यांचे प्राकलन तयार करुन त्यास तांत्रिक मान्यता घेऊन अशा कामांना ग्रामपंचायत मासिक सभा प्रशासकीय मान्यता देते. ज्या विभागाकडुन अनुदान प्राप्त होते त्या विभागाचे सक्षम अधिकारी कामांचा कार्यारंभ आदेश देते. ग्रामविकास आराखडा, त्यातील कामे व कामावरील खर्च शासनाने विकसित केलेल्या Plan-Plus या आज्ञावलीत नोंदविणे आवश्यक आहे. | |
| | 4 | जिल्हा ग्राम विकास निधी कर्ज योजना | • महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 चे कलम 133 व त्या खाली तयार करण्यात आलेले मुंबई जिल्हा ग्रामविकास निधी नियम 1960 मधील तरतुदीनुसार पंचायतींनी दिलेल्या अंशदानातून प्रत्येक जिल्हयात जिल्हा ग्राम विकास निधी स्थापन करण्यात आलेला आहे. · सदर निधीचा उपयोग हा ग्रामपंचायतीनां उक्त अधिनियमातील कलम 45(1) च्या अनुसूचीत एक मधील विहीत केलेले कर्तव्ये पार पाडण्याच्या दृष्टिने पंचायतींना कर्जे देण्यासाठी केला जातो. · ग्रामपंचायत प्रत्येक वित्तीय वर्षी कलम 133 अन्वये जिल्हा ग्राम विकास निधीस,मागील वित्तीय सर्व स्त्रोतापासून ( शासनाकडून मिळालेल्या अंशदानासह ) उभारलेल्या तिच्या उत्पन्नाच्या 0.25 टक्के इतके अंशदान देईल. · ग्रामपंचायतीनां कर्ज मंजूर करतांना तिच्या अलीकडील तीन आर्थिक वर्षाच्या सरासरी शिल्लकी उत्पन्नाच्या 20 पट व उत्पादक स्वरूपाची कामे घेतल्यास 30 पट इतक्या रक्कमेचे कर्ज निधी मधून देता येते. · कर्जाची रक्कम · 60,000/- रूपयाहून अधिक असेल तर,त्या बाबतीत कर्ज देण्यास जिल्हा परिषद सर्व साधारण सभेची मान्यता घेणे आवश्यक आहे. · जिल्हात ग्रामपंचायतींना या निधीतुन कर्ज वाटप करण्यात आले आहे. | |
| | 5 | पेसा 5% निधी योजना | जळगांव जिल्हयातील तीन तालुक्यातील चोपडा,यावल,रावेर येथील एकुण पेसा 32 ग्रामपंचायती आहे.सदर आदिवासी विकास विभागकडुन दरवर्षी पेसा ग्रामसभा कोष समिती गावनिहाय आदिवासी लोकसंख्या व दरडोईनुसार निधी शासनाकडुन पेसा ग्रामपंचायतीना थेट निधी प्राप्त झाले आहेत. सदरचा निधीचा उपयोग हा खालील प्रमाणे निकषानुसार खर्च करण्यात येतो अ) पायाभुत सुविधा–संबंधित पेसा गावातील ग्रामपंचायत कार्यालये,आरोग्य केंद्रे,अंगणवाडी शाळा,दफनभुमी,गोडाऊन,गावांचे अंतर्गत रस्ते व तत्सम पायाभुत सुविधेसह. ब) वनहक्क अधिनियम व पेसा कायदयांची अंमलबजावणी– 1)आदिंवासीनी त्यांच्या उदरनिर्वाहाच्या | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | व्यवसायाच्या संदर्भात प्रशिक्षण केंद्रामार्फत प्रशिक्षण मार्गदर्शन करणे.2) गावतळी विकास किंवा मत्स्यपालन व्यवसाय/मत्स्यबीज खरेदी.3) सामाईक जमिनी विकसित करून देणे.4) गौण पाणीसाठयाचे व्यवस्थापन.5)सामाईक नैसर्गिक साधनसंपदा व सामाईक मालमत्ता विकसित करणे. 4.शुध्द पिण्याचे पाणी पुरवठा करणे ड) ,वन्यजीव-संवर्धन,जलसंधारण,वनतळी,वन्यजीव पर्यटन व वनउपजिविकास | |
| 6 | पंडीत दिनदयाळ उपाध्याय पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कार 2019 सन 2017-18 च्या मानांकनासाठी माहिती भरणे | | ग्रामपंचायत,पंचायत समिती व जिल्हा परिषद या तिनही संस्थाचे कामकाजावर आधारीत 100 गुणांची प्रश्नावली निश्चीत करण्यात आलेली आहे सर्वात चांगले काम करणाऱ्या व नाविण्यपुर्ण उपक्रम राबविणारे ग्रामपंचायतीस पंडीत दिनदयाळ उपाध्याय पंचायत सशक्तीकरण या नावाने पुरस्कार देण्याची योजना सुरु करण्यात आले आहे. केंद्र शासनाने शासन निर्णय 26 सप्टेंबर 2018 च्या मार्गदर्शक सुचनेनुसार सदर योजनेतंर्गत ग्रामपंचायत/पंचायत समिती/जिल्हा परिषद केलेल्या कामाची माहिती शासनाच्या संकेत स्थळावर भरावयाची आहे. | |

| ५ | **कागदपत्रे** | |
|---|---|---|
| ५.१ | **धोरण आणि मार्गदर्शक तत्वे** | **निरंक** |
| ५.२ | **वार्षिक अहवाल** | **निरंक** |
| ५.३ | **Plan कागदपत्रे** | **निरंक** |
| ५.४ | **वार्षिक पॉलिसी नोट्स** | **निरंक** |

| ५.५ | **बजेट माहिती** |
|---|---|
| | **निरंक** |

| ५.६ | **कामगिरी बजेट** |
|---|---|
| | **निरंक** |

| ५.७ | **नागरिकांची सनद** |
|---|---|
| | नागरिकांची सनद २०२४ |

| ५.८ | **नियमावली** |
|---|---|
| | **निरंक** |

| ५.९ | सरकारी आदेश | |
|---|---|---|
| अ.क्र. | निर्गमित आदेशाचे नांव | प्रसिद्धी दिनांक |
| 1 | ५०/५५ वर्षे पूर्ण झालेल्या कर्मचारी यांच्या बाबत पुनर्विलोकन आदेश. | १०/०६/२०१९ |
| 2 | ग्रामपंचायत कर्मचारी आकृतिबंध | २१/०१/२००० |
| 3 | राहणीमान भत्ता सुधारणा 3 मार्च 2020 | ०३/०३/२०२० |
| 4 | शासकीय कार्यालयात धार्मिक फोटो न लावणे | ०४/०१/२०१७ |
| 5 | सर्वसाधारण बदली प्रक्रिया शासन निर्णय | १५/०५/२०१४ |
| 6 | 14 जुलै 2015 ग्रामीण_विकास_विभाग_सूचना | १४/०७/२०१५ |
| 7 | महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015 | २१/०८/२०१५ |
| 8 | महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015 अधिसूचना | १२/०२/२०१९ |
| 9 | महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015 अधिसूचना | १३/०२/२०१९ |
| 10 | 14 वित्त आयोग निर्देशानुसार ग्रामविकास आराखडा | ०४/११/२०१५ |
| 11 | "आमचं गाव, आमचा विकास" उपक्रमांतर्गत सन 2021-22 या वर्षाचा वार्षिक ग्रामपंचायत विकास अराखडा तयार करणेबाबत | २५/०९/२०२० |
| 12 | ग्रामीण क्षेत्रात इमारत बांधकाम परवानगी | ११/१२/२०१५ |
| 13 | जिल्हा ग्राम विकास निधी आधिनियम | ०१/०४/१९६० |
| 14 | जैव विविधता व्यवस्थापन समिती | ०२/०५/२०१६ |
| 15 | राष्ट्रपुरुष थोर व्यक्ती यांचा पुतळा उभारण्यासंदर्भातील मार्गदर्शक तत्वे | ०२/०२/२००५ |

| ५.१० | परिपत्रके/अधिसूचना | |
|---|---|---|
| अ.क्र. | निर्गमित आदेशाचे नांव | प्रसिद्धी दिनांक |
| 1 | विस्तार अधिकारी (ग्रामपंचायत) यांचे पदोन्नती आदेश | २९/०४/२०२५ |
| 2 | सर्वसाधारण बदल्या २०२३- बदली नियुक्ती आदेश | १०/०५/२०२३ |
| 3 | कोविड १९ मुळे संसर्गाने मृत्यू पावलेल्या अधिकारी/कर्मचारी यांच्या वारसास अनुदानकामी प्रस्तावाच्या त्रुटींच्या पुर्ततेकामी | १०/०४/२०२३ |
| 4 | ग्राम पंचायत कर्मचारी यांची कागदपत्र तपासणी २०२३ | १०/०४/२०२३ |
| 5 | ग्रा.वि.अ. पदासाठीची पदोन्नती यादी | २१/०५/२०२२ |
| 6 | सर्वसाधारण बदली आदेश | १२/०५/२०२२ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 7 | भरती प्रक्रीया व नेमणुक आदेश | १०/०१/२०२१ |

| ५.११ | **कायदे आणि नियम** |
|---|---|
| | **निरंक** |

| ६ | नोटीस | |
|---|---|---|
| ६.१ | कार्यक्रम | |

| अ.क्र. | शीर्षक | दिनांक |
|---|---|---|
| 1 | मोहीम व सर्वेक्षण | |
| 2 | आदर्श ग्रामसेवक पुरस्कार योजना | |

| | | |
|---|---|---|
| ६.२ | मागील घटना | निरंक |
| ६.३ | घोषणा | निरंक |
| ६.४ | घोषणा (अर्थसंकल्पीय) | निरंक |
| ६.५ | भरती | निरंक |
| ६.६ | निविदा | निरंक |

| ७ | प्रकाशन | |
|---|---|---|
| ७.१ | मासिक/वृत्तपत्रे | निरंक |
| ७.२ | प्रशिक्षण पुस्तिका | निरंक |
| ७.३ | हँडबुक | निरंक |
| ७.४ | ब्रोशन/पॅम्फ्लेट | निरंक |

| ८ | मीडीया कॉर्नर | |
|---|---|---|
| ८.१ | बातम्या | निरंक |
| ८.२ | प्रेस रिलीज | निरंक |
| ८.३ | फोटो गॅलरी | निरंक |
| ८.४ | व्हिडीओ गॅलरी | निरंक |

**माहिती मानके राखली पाहिजेत:**

| अ.क्र. | Content Type | Format | Size |
|---|---|---|---|
| 1 | कॅप्शनसह बॅनर Image | | |
| 2 | कॅप्शनसह फोटो | | |
| 3 | पीडीएफ फाईल्स | | |

| ९ | RTI |
|---|---|
| ९.१ | आरटीआय कागदपत्रे |

| ९.२ | आरटीआय संपर्क |
|---|---|

## माहिती अधिकार २००५ जनमाहिती अधिकारी सहाय्यक माहिती अधिकारी यांची माहिती दर्शविणारा तक्ता

| अ.क्र. | जन माहिती/सहाय्यक शासकीय माहिती अधिकारी अधिकाऱ्याचे नाव | जन माहिती/सहाय्यक शासकीय माहिती अधिकारी अधिकाऱ्याचे पदनाम, पत्ता | दूरध्वनी | ई-मेल | अपील प्राधिकरी – नाव, पदनाम, पत्ता |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | श्री प्रल्हाद आर. चौधरी [शासकीय जनमाहिती अधिकारी] | कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी ,ग्रामपंचायत विभाग, जि.प.जळगांव. | 0257-2229110 | dyceovpjalgaon@gmail.com | श्री. भाऊसाहेब शिवाजी अकलाडे, उपमुख्य काय्रकारी अधिकारी\(ग्रापं), जि.प. जळगांव |
| 2 | संबधीत कार्यासनाचे कर्मचारी [सहाय्यक शासकीय माहिती अधिकारी] | संबधीत कार्यासन [विस्तार धिकारी, वरिष्ठ सहाय्यक, कनिष्ठ सहाय्यक, लघुलेखक] | 0257-2229110 | dyceovpjalgaon@gmail.com | श्री. भाऊसाहेब शिवाजी अकलाडे,, उपमुख्य काय्रकारी अधिकारी\(ग्रापं), जि.प. जळगांव |
| 3 | श्री. श्री. भाऊसाहेब शिवाजी अकलाडे, [अपिलीय अधिकारी] | उपमुख्य काय्रकारी अधिकारी (ग्रापं) ,ग्रामपंचायत विभाग, जि.प. जळगांव | 0257-2229110 | dyceovpjalgaon@gmail.com | |
| 4 | ग्रामपंचायतीचे ग्रामसेवक | संबधीत ग्रामपंचायतीचे ग्रामसेवक व ग्रामपंचायत | | | संबधीत तालुक्यातील गटविकास अधिकारी |